

## प्ररूप एफ-1

(नियम 3 देखिए)

### वृहद् आर्थिक रुपरेखा का विवरण

#### क. 1. राज्य अर्थव्यवस्था पर विस्तृत विचार-

1.1 प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की संरचना तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों का अखिल भारतीय स्तर पर तुलनात्मक विश्लेषण तालिका 1.1 में प्रदर्शित है।

#### तालिका 1.1

अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन (स्थिर मूल्यों पर)

(प्रतिशत में)

क्षेत्र/वर्ष	अखिल भारतीय		मध्यप्रदेश	
	2004-05	2009-10 त्वरित अनुमान*	2004-05	2009-10 त्वरित अनुमान*
प्राथमिक	19.03	14.62	27.66	25.20
द्वितीयक	27.93	28.08	27.15	27.62
तृतीयक	53.05	57.30	45.19	47.18

\*टीप - केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना हेतु नयी श्रृंखला जारी करते हुए आधार वर्ष को वर्ष 1999-2000 के स्थान पर वर्ष 2004-05 किया गया है। राज्य शासन द्वारा भी वर्ष 2009-10 से इस श्रृंखला को अपना लिया गया है।

1.2 वर्ष 2004-05 से 2009-10 की अवधि में अखिल भारतीय एवं राज्य स्तर पर अर्थ व्यवस्था की संरचना में परिवर्तन हुए हैं। अखिल भारतीय स्तर पर इस अवधि में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.03 प्रतिशत से घटकर 14.62 प्रतिशत हो गया है तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 53.05 प्रतिशत से बढ़कर 57.30 प्रतिशत हो गया है। इसी अवधि में मध्य प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 27.66 प्रतिशत से घटकर 25.20 प्रतिशत हुआ है जबकि तृतीयक क्षेत्र का योगदान 45.19 प्रतिशत से बढ़कर 47.18 प्रतिशत हो गया है।

1.3 वर्ष 2004-05 में राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में मध्य प्रदेश का योगदान 3.80 प्रतिशत था जो वर्ष 2009-10 (त्वरित अनुमान अनुसार) में घटकर 3.54 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 में राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में जहाँ 7.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 8.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार लगातार दूसरे वर्ष राज्य की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक रही। विगत पाँच वर्षों (2005-06 से 2009-10) के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर 7.28 प्रतिशत रही है, जबकि इसके पूर्व के पाँच वर्षों वर्ष (2000-01 से 2004-05) में यह 4.22 प्रतिशत रही थी।

## **2. सकल राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि**

- 2.1 वर्ष 2009-10 के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी. एस. डी. पी.) के त्वरित अनुमान अनुसार जी. एस. डी. पी. में स्थिर भावों (आधार वर्ष 2004-05) पर गत वर्ष की तुलना में 8.49 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।
- 2.2 मध्यप्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2004-05 से वर्ष 2009-10 की अवधि में 7.1 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रवृत्ति रेखा आधार पर दर्ज की गई जो यद्यपि राष्ट्रीय औसत 8.6 प्रतिशत से कम है, परन्तु वर्ष 2008-09 से इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा यह राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर से अधिक रही है। वर्ष 2009-10 में स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2004-05) प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 7.47 प्रतिशत, 6.66 प्रतिशत तथा 10.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-10 के लिये राज्य सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान तथा उनमें वृद्धि की स्थिति तालिका 2.1 में दर्शाई गई है।


**तालिका 2.1**  
**स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2004-05) सकल राज्य घरेलू उत्पाद में**  
**विभिन्न क्षेत्रों का योगदान**

(राशि करोड़ में)

क्षेत्र	वर्ष 2008-09 (प्रावधिक अनु.)	वर्ष 2009-10 (त्वरित अनु.)	वर्ष 2009-10 में गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
कृषि (पशुपालन सहित)	33037.96	35524.86	7.53
वानिकी	3951.11	4260.20	7.82
मछली पालन	307.14	296.62	-3.43
खनिज एवं खनन	6363.11	6461.90	1.55
विनिर्माण	18615.55	20301.27	9.06
निर्माण	12893.94	13324.78	3.34
विद्युत गैस एवं जल प्रदाय	3326.55	3855.33	15.90
रेल्वे	2643.64	2851.97	7.88
अन्य साधनों से परिवहन एवं भंडारण	4536.74	4909.64	8.22
संचार	2544.07	2862.51	12.52
व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	19650.82	21207.94	7.92
बैंकिंग एवं बीमा	7636.35	8722.24	14.22
रीयल स्टेट	11666.46	12355.76	5.91
लोक प्रशासन	6757.89	8041.12	18.99
अन्य सेवायें	12690.50	14099.02	11.10
<b>योग</b>	<b>146621.83</b>	<b>159075.16</b>	<b>8.49</b>

2.3 2004-05 से 2009-10 की अवधि में राज्य की क्षेत्रवार अर्थव्यवस्था की विकास निम्नानुसार रही है।

चित्र



2.4 वर्ष 2009-10 के त्वरित अनुमान के अनुसार चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ` 216958.16 करोड़ है। इसमें पिछले वर्ष के प्रावधिक अनुमान की तुलना में 16.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि वर्ष 2008-09 की 15.52 प्रतिशत की वृद्धि दर से अधिक रही है।

### 3. राज्य सरकार के वित्त साधन पर विस्तृत विचार-

3.1 वर्ष 2009-10 में, ` 5307.55 करोड़ राजस्व आधिक्य के पुनरीक्षित अनुमानों के विरुद्ध, लेखा अनुसार राजस्व आधिक्य ` 5497.80 करोड़ रहा। इसी तरह राजकोषीय घाटा ` 6593.53 करोड़ के पुनरीक्षित अनुमान के विरुद्ध लेखा अनुसार ` 6198.92 करोड़ रहा। वर्ष 2010-11 में राजस्व आधिक्य, ` 1580.56 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर ` 4726.08 करोड़ होना संभावित है। राजकोषीय घाटा ` 8003.03 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में ` 8325.08 करोड़ होना संभावित है जो मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित सीमा (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50 प्रतिशत) के भीतर है।

3.2 वर्ष 2009-10 के लेखे के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियाँ ` 41394.70 करोड़ है जो पुनरीक्षित अनुमान ` 43284.39 करोड़ से कम है। इस कमी का मुख्य कारण इस अवधि में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी एवं केन्द्रीय करों के संग्रहण में कमी के कारण केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से में कम राशि प्राप्त होना है। वर्ष 2010-11 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान ` 52514.56 करोड़ है जो बजट अनुमान ` 43443.82 करोड़ से 20.88 प्रतिशत अधिक है। पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व प्राप्तियाँ बढ़ने का मुख्य कारण तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से में वृद्धि तथा केन्द्र से प्राप्त आयोजनेतर

अनुदानों में बढ़ोतरी है। इसके साथ ही राज्य के कर एवं करेतर राजस्व संग्रहण में सुधार होने से भी राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई है।

- 3.3 वर्ष 2009-10 में करेतर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ ` 6382.04 करोड़ रूपये थी जो वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित अनुमान ` 6262.30 करोड़ से 1.91 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार करेतर राजस्व ` 5997.45 करोड़ प्राप्त होना संभावित है, जो बजट अनुमान 2010-11 ` 4322.46 करोड़ से 38.75 प्रतिशत अधिक है।

#### 4. संभावनाएं-

- 4.1 वर्ष 2004-05 से 2009-10 की अवधि में मध्य, प्रदेश में पंजीकृत विनिर्माण की विकास दर धनात्मक बनी रही है जिससे आशावादी संकेत मिलते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश भी आकर्षित हुआ है, परिणामस्वरूप इस क्षेत्र की विकास दर में और सुधार की आशा है।
- 4.2 वर्ष 2009-10 में कम व असमय वर्षा के फलस्वरूप फसलों को हुई हानि के बावजूद कृषि क्षेत्र में 7.53 प्रतिशत (स्थिर मूल्य पर) की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे राज्य की आर्थिक विकास दर में सुधार हुआ है।
- 4.3 प्रदेश में विद्युत, गैस तथा जल प्रदाय क्षेत्र में भी 15.90 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो प्रदेश के आर्थिक विकास को प्रदर्शित करती है।
- 4.4 मध्य प्रदेश को 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं अंतर्गत भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2010-11 में ` 1373.48 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 में ` 2324.55 करोड़ का अनुदान प्राप्त होने की संभावना है।
- 4.5 राज्य के राजकोषीय घाटे का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत वर्ष 2009-10 में मात्र 2.86 रहने से राज्य के ऊपर सकल ऋण भार में वृद्धि सीमित रही है। वर्ष 2009-10 के लिये राजकोषीय घाटे की सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के

4.00 प्रतिशत के आधार पर रखा गया था। वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए इस सीमा को 3.5 प्रतिशत रखा गया है तथा पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47 प्रतिशत रहना संभावित है। वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.00 प्रतिशत तक रहने की संभावना है।

**ख. चयनित राजकोषीय सूचकों में रुख-**

(रुपये करोड़ में)

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्व वर्ष से चालू वर्ष में परिवर्तन (प्रतिशत)	चालू वर्ष से आगामी वर्ष में परिवर्तन (प्रतिशत)
		2009-10	2010-11 (पु.अ.)	2011-12 (ब.अ.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	41394.70	52514.56	57789.99	26.86	10.05
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	28349.79	35284.05	40147.00	24.46	13.78
2.1	राज्य कर	17272.80	20379.83	23118.31	17.99	13.44
2.2	केन्द्रीय करों में हिस्सा	11076.99	14904.22	17028.69	34.55	14.25
3	करेतर राजस्व	6382.04	5997.45	5999.44	-6.03	0.03
4	केन्द्र शासन से सहायक अनुदान	6662.87	11233.06	11643.55	68.59	3.65
5	पूंजीगत प्राप्तियां (6+7+8)	5043.88	10620.47	8141.25	110.56	-23.34
6	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	47.82	418.67	73.86	775.51	-82.36
7	शुद्ध लोक ऋण	6208.46	6072.00	7657.19	-2.20	26.11
8	लोक लेखा से शुद्ध प्राप्ति	-1212.40	4129.80	410.20	-440.63	-90.07
9	कुल प्राप्तियां (1+5)	46438.58	63135.03	65931.24	35.95	4.43
10	राजस्व व्यय (10.1+10.2)	35896.90	47788.48	53923.49	33.13	12.84
10.1	आयोजनेतर राजस्व व्यय	26059.22	33201.36	38205.40	27.41	15.07
10.2	आयोजना राजस्व व्यय	9837.68	14587.12	15718.09	48.28	7.75
10.3	राजस्व व्यय : - जिसमें					
10.3.1	ब्याज भुगतान एवं ऋण परिशोधन खर्च	4454.30	5083.08	5342.18	14.12	5.10
10.3.2	सहायकी (सब्सिडी)	12391.63	17175.52	18328.12	38.61	6.71
10.3.3	मजदूरी तथा वेतन	10178.17	14674.35	17839.32	44.17	21.57
10.3.4	पेंशन संदाय	3077.18	4569.83	5158.05	48.51	12.87
11	पूंजीगत व्यय (11.1+11.2)	7924.88	9545.78	8721.93	20.45	-8.63
11.1	आयोजनेतर पूंजीगत व्यय	61.05	141.06	39.89	131.06	-71.72
11.2	आयोजना पूंजीगत व्यय	7863.83	9404.72	8682.04	19.59	-7.68
12	ऋण एवं अग्रिम (12.1+12.2)	3819.66	3924.05	3200.21	2.73	-18.45
12.1	आयोजनेतर ऋण एवं अग्रिम	3142.76	2804.25	2021.55	-10.77	-27.91
12.2	आयोजना ऋण एवं अग्रिम	676.90	1119.80	1178.66	65.43	5.26
13	कुल व्यय	47641.44	61258.31	65845.63	28.58	7.49
13.1	आयोजनेतर व्यय (10.1+11.1+12.1)	29263.03	36146.67	40266.84	23.52	11.40
13.2	आयोजना व्यय (10.2+11.2+12.2)	18378.41	25111.64	25578.79	36.64	1.86
14	राजस्व घाटा आधिक्य (1-10)	5497.80	4726.08	3866.50	-14.04	-18.19
15	राजकोषीय घाटा (1+6-13)	-6198.92	-8325.08	-7981.78	34.30	-4.12
16	प्रार्थमिक घाटा (1+6)-(13-10.3.1)	-1744.62	-3242.00	-2639.60	85.83	-18.58

## प्ररूप एफ-2

(नियम 4 देखिए)

### **मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण**

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर बनाया गया है एवं तदनुसार ही सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के मान से राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3 प्रतिशत निर्धारित किया गया था।

बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों में केन्द्र द्वारा इस लक्ष्य को वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिये क्रमशः 4.00 प्रतिशत 3.5 प्रतिशत रखा गया था। वर्ष 2011-12 के लिए इस लक्ष्य को पुनः 3.00 प्रतिशत रखा गया है। आगामी वर्षों में भी तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत की सीमा में रखा जावेगा। इसके साथ ही तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अन्तर्गत राजकोषीय एवं वित्तीय प्रबंधन (ऋण सीमा सहित) संबंधी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।



**क. राजकोषीय सूचक- चल लक्ष्य (रोलिंग टारगेट्स)**

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	लेखा 2009-10	पुनरीक्षित अनुमान 2010-11	बजट अनुमान 2011-12	आगामी 3 वर्ष का लक्ष्य		
					2012-13	2013-14	2014-15
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	2.53	1.97	1.45	1.68	1.81	1.93
2	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटा	2.86	3.47	3.00	2.90	2.88	2.88
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया दायित्व	32.99	32.11	32.10	31.30	31.08	30.88

**ख. राजकोषीय सूचकों का पूर्वानुमान**

**(1) राजस्व प्राप्तियाँ :**

(क) **कर राजस्व** - कर राजस्व में राज्य के स्वयं का कर राजस्व तथा केन्द्रीय करों का अंतरण सम्मिलित है। वर्ष 2011-12 के लिए केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का हिस्सा ` 17028.69 करोड़ अनुमानित है। केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य के हिस्से में तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को केन्द्र सरकार द्वारा लागू करने के कारण वृद्धि हुई है। वर्ष 2011-12 में राज्य की स्वयं की कर राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान ` 23118.31 करोड़ है।

(ख) **करेतर राजस्व** - वर्ष 2011-12 (बजट अनुमान) के लिये राज्य का करेतर राजस्व ` 5999.44 करोड़ अनुमानित है। यह राशि वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान ` 5997.45 करोड़ से 0.03 प्रतिशत अधिक है।

(ग) **कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा** - कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2010-11 (पुनरीक्षित अनुमान) में 38.81 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2011-12 में यह अनुपात 40.01 प्रतिशत होने की संभावना है।

(घ) कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के करेतर राजस्व का हिस्सा - कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के करेतर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार 11.42 प्रतिशत है। वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान में कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के करेतर राजस्व का हिस्सा 10.37 प्रतिशत होने की संभावना है।

(2) पूंजीगत प्राप्तियाँ : वर्ष 2011-12 में पूंजीगत प्राप्तियाँ ₹ 8141.25 करोड़ होने की संभावना है जो वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान से 23.34 प्रतिशत कम है। राजकोषीय घाटा जो चालू वित्त वर्ष में 3.5 प्रतिशत रखा जाना अनुमत था, के आगामी वर्ष में 3.00 प्रतिशत रखने एवं लोक लेखा में शुद्ध प्राप्तियाँ घटने से उक्त कमी हुई है। बाद के वर्षों में राजकोषीय लक्ष्यों के आधार पर सकल ऋण का अनुमान लगाया गया है। संबंधित वर्ष में विभिन्न स्रोतों से ऋण की उपलब्धता तथा उस समय प्रचलित ब्याज दर के आधार पर नए ऋणों का पोर्टफोलियो निर्धारित किया जायेगा। इस वित्तीय वर्ष में ऋणों का पोर्टफोलियो निम्नानुसार रहेगा -

(क) केन्द्र से उधार तथा अग्रिम - वर्ष 2011-12 के लिये ₹ 1788.67 करोड़ केन्द्र सरकार से उधार तथा अग्रिम प्राप्त होने का अनुमान है जो बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं हेतु है।

(ख) राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ-

राज्य सरकार के लिये वित्त व्यवस्था का यह एक महंगा स्रोत है। परन्तु यह राज्य में अल्प बचत योजनाओं में हुई जमा राशि के आधार पर अनिवार्यतः लेना पड़ता है। इस मद में वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान ₹ 300 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान ₹ 2200 करोड़ है। वर्ष 2011-12 में इस मद में ₹ 1500 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है।

- (ग) **उधारों तथा अग्रिमों की वसूली** - 31 मार्च 2010 की स्थिति में राज्य के ₹ 11423.66 करोड़ के उधार तथा अग्रिम बकाया है। उधार एवं अग्रिम का एक बड़ा भाग रुपये 7868.85 करोड़ मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल व उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों पर बकाया है।
- (घ) **वित्तीय संस्थानों से उधार** - बाजार ऋण के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 बजट अनुमान ₹ 6500 करोड़ के विरुद्ध पुनरीक्षित अनुमान ₹ 4172.68 करोड़ है। अल्प बचत योजनाओं के संग्रहण में वृद्धि के कारण बाजार ऋणों में यह कमी हुई है। वर्ष 2011-12 के लिये ₹ 6267.00 करोड़ की राशि बाजार ऋण के रूप में प्राप्त होना अनुमानित है। आगे के वर्षों में यह राशि राजकोषीय संकेतकों के आधार पर अनुमानित की गई है। नाबार्ड, हुडको, एल. आई. सी. जैसे अन्य संस्थानों से लिये जाने वाले उधार परियोजना-आधारित हैं और समग्र उधार कार्यक्रम का ही भाग है।
- (ङ) **अन्य प्राप्तियां (शुद्ध) - भविष्य निधि आदि** - राज्य की संचित निधि से बाहर लोक लेखे से उधार पूंजीगत प्राप्तियों का एक स्रोत है। उपलब्धता के आधार पर इनका उपयोग पूंजीगत व्यय के अन्तर की पूर्ति के लिये किया जावेगा।
- (च) **बकाया दायित्व - आंतरिक ऋण तथा अन्य दायित्व** - वर्ष 2009-10 के लेखा अनुसार मार्च 2010 की समाप्ति पर सकल शेष ऋण ₹ 61291.37 करोड़ है। राज्य के अन्य दायित्वों (लोक लेखा) को जोड़कर यह राशि ₹ 67852.56 करोड़ होती है। राज्य द्वारा अन्य संस्थाओं को दी गई प्रत्याभूति की राशि के विरुद्ध लंबित ऋण एवं ब्याज की राशि जोड़ने पर 31 मार्च, 2010 की स्थिति में राज्य का कुल दायित्व ₹ 71576.41 करोड़ होता है तथा मार्च 2011 की स्थिति में यह ₹ 76950.83 करोड़ होना अनुमानित है।

**(3) कुल व्यय :**

कुल व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे में आयोजना व्यय तथा आयोजनेतर व्यय को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान अनुसार आयोजना राजस्व व्यय ` 15718.09 करोड़ एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय ` 38205.40 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2011-12 के पश्चात आयोजना राजस्व व्यय में 12 प्रतिशत तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि अनुमानित की गई है।

**(क) राजस्व लेखा** - राजस्व लेखा के अंतर्गत मुख्यतः वेतन, पेंशन, ब्याज संदाय तथा अनुदान शामिल है।

**(एक) ब्याज संदाय** - वर्ष 2010-11 में उधार लिये जाने वाले ऋण की औसत लागत 8.29 प्रतिशत अनुमानित है तथा इसी आधार पर देयताओं के पूर्वानुमान तैयार किये गये हैं।

**(दो) प्रमुख अनुदान (सब्सिडी)** - वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान में 6.71 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

**(तीन) वेतन** — राज्य शासन द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को छठवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप माह सितंबर 2008 से छठवें वेतनमान का नगद लाभ दिया गया था । दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अगस्त, 2008 तक के वेतन एरियर्स का भुगतान पाँच वार्षिक किस्तों में वित्तीय वर्ष 2010-11 से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2010-11 में माह अप्रैल, जुलाई एवं अक्टोबर से क्रमशः 3 प्रतिशत, 2 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत अतिरिक्त मंहगाई भत्ता दिये जाने, महाविद्यालयीन, तकनीकी कृषि

महाविद्यालयों के शिक्षकों को क्रमशः यूजीसी, एआईसीटी एवं ए आई सी आर वेतनमान दिये जाने तथा न्यायालयीन अधिकारी संवर्ग को पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने के कारण वर्ष 2010-11 में वर्ष 2009-10 की तुलना में वेतन शीर्ष अन्तर्गत 44.17 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2011-12 में वेतन मद के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 21.57 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

**(चार) पेंशन** - प्रदेश के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पेंशनरों की पेंशन/परिवार पेंशन का भी समेकन किया गया। पेंशनरों को देय मंहगाई राहत में भी कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते के अनुसार वृद्धि किये जाने के कारण वर्ष 2010-11 में इस मद अन्तर्गत वर्ष 2009-10 की तुलना में 48.51 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2011-12 में इस मद में वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान से 12.87 प्रतिशत अधिक व्यय होना अनुमानित है। बाद के वर्षों में इस मद में 12 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की गई है।

**(ख) पूँजीगत लेखा -**

**(एक) उधार तथा अग्रिम** - वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान में बजट अनुमान की तुलना में उधार तथा अग्रिम मद में 142 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण बिजली परियोजनाओं के लिये कार्यशील पूँजी हेतु ऋण में वृद्धि है।

**(दो) पूँजीगत परिव्यय** - राज्य के पूँजीगत परिव्यय का उपयोग मुख्यतः सड़क, बिजली तथा सिंचाई जैसी अधोसंरचना विकास हेतु किया जा रहा है। वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार पूँजीगत परिव्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.98 प्रतिशत होना संभावित है। आधारभूत क्षेत्रों में

पूँजीगत निवेश की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वर्षों में इसमें 14 प्रतिशत की वृद्धि का पूर्वानुमान किया गया है।

**(4) राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में वृद्धि :**

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2004-05 से वर्ष 2009-10 के दौरान चालू मूल्यों पर औसतन 14.03 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है। वर्ष 2010-11 में यह वृद्धि 10.46 प्रतिशत अनुमानित की गई है तथा उसके पश्चात इसमें 11.03 प्रतिशत की औसत वृद्धि का पूर्वानुमान किया गया है। समावेशी आर्थिक वृद्धि की अवधारणा को पूर्ण करने हेतु जी.एस.डी.पी. में वृद्धि को और तीव्र करना आवश्यक है तथा राजकोषीय नीति का यह प्रमुख लक्ष्य है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राजकोषीय नीति अग्रसर है।

**(ग) संवहनीयता का निर्धारण :**

- (1) सामान्य प्राप्तियों और व्ययों तथा विशेषकर राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के मध्य संतुलन - राजकोषीय अधिनियम में विचारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कुल व्यय, विशिष्टतः राजस्व व्यय, की अपेक्षा प्राप्तियों की दर में और अधिक तेजी से वृद्धि हो। वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कर राजस्व का जीएसडीपी से अनुपात 14.72 प्रतिशत है तथा वर्ष 2011-12 में इसके 15.09 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2010-11 में स्वयं के कर राजस्व का जीएसडीपी से अनुपात 8.50 प्रतिशत है और यह वर्ष 2011-12 में 8.69 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2010-11 के लिये केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का जीएसडीपी से अनुपात 6.22 प्रतिशत है और यह वर्ष 2011-12 में 6.40 प्रतिशत संभावित है। करेतर राजस्व में वृद्धि करने के लिये उपभोक्ता प्रभारों की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी तथा उसको संवहनीय बनाया जायेगा।

वर्ष 2009-10 में ब्याज भुगतान तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 10.76 प्रतिशत था जो वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान में घट कर 9.68 प्रतिशत है। वर्ष 2011-12 के बजट अनुमानों में यह अनुपात 9.25 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। यह संवहनीयता की दृष्टि से लक्षित 15 प्रतिशत की सीमा से कम है।

वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार कुल दायित्व का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 32.11 प्रतिशत अनुमानित है। यह अनुपात वर्ष 2011-12 में 32.10 रहने संभावना है। वर्ष 2014-15 तक यह अनुपात घटकर 30.88 प्रतिशत तक हो जाना संभावित है।

(2) आयोजनेतर राजस्व व्यय में वृद्धि का अनुमान - राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को छठवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान/पेंशन दिये जाने के साथ ही बकाया एरियर्स का भी भुगतान किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार वर्ष 2009-10 की तुलना में वेतन मद में 44.17 प्रतिशत तथा पेंशन मद में 48.51 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की तुलना में राज्य के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की दर में अन्तर को कम करने के कारण वर्ष 2011-12 के लिये वेतन मद में बजट अनुमान में वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 21.57 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित है। इसके अतिरिक्त राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप भी राज्य के आयोजनेतर राजस्व व्यय में वृद्धि संभावित है।

राज्य के द्वारा राजकोषीय घाटे को सीमित रखने तथा ऋण के पोर्टफोलियो के समुचित चयन के कारण ब्याज भुगतान पर व्यय में वृद्धि नियंत्रित रही है। वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार ब्याज मद में वर्ष 2009-10 की तुलना में 14.12 प्रतिशत तथा वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान अनुसार वर्ष 2010-11 की तुलना में 5.10 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। आयोजनेतर राजस्व व्यय में वर्ष 2010-11

के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वर्ष 2011-12 में 15.07 प्रतिशत तथा इसके पश्चात 10 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित है।

- (3) पूँजीगत प्राप्तियाँ जिसमें बाजार ऋण भी सम्मिलित हैं, का उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिये उपयोग - राज्य के द्वारा राजस्व आधिक्य की स्थिति वर्ष 2004-05 में ही प्राप्त कर ली गई थी एवं लगातार सातवें वर्ष भी राजस्व आधिक्य की स्थिति बनाये रखी गई है। वर्ष 2007-08 से सभी पूँजीगत प्राप्तियों का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार सिंचाई, ऊर्जा, सड़क तथा पुलों आदि के निर्माण में किया जा रहा है। आधारभूत क्षेत्रों में लोक निवेश को और बढ़ाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
- (4) आगामी दस वर्षों हेतु पेंशन के दायित्व की गणना - पेंशन भुगतान में वृद्धि की प्रवृत्ति की गणना विगत 5 वर्ष के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार की गई है। तदनुसार, पेंशन उत्तरदायित्व का पूर्वानुमान निम्नानुसार है : -

वर्ष	रु. करोड में
2005-06	1557.15
2006-07	1729.16
2007-08	1964.28
2008-09	2433.05
2009-10	3077.18
2010-11	4569.83
2011-12	5158.05
2012-13	5777.02
2013-14	6470.26
2014-15	7246.69
2015-16	8116.29
2016-17	9090.25
2017-18	10181.08
2018-19	11402.81
2019-20	12771.14
2020-21	14303.68

**टीप:-** वर्ष 2005-06 से 2009-10 के आंकड़े वास्तविक लेखा, वर्ष 2010-11 के आंकड़े पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 2011-12 के आंकड़े बजट अनुमान के आधार पर हैं।

राज्य के पेंशनरों को छठवें वेतनमान के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण एवं उन्हें देय मंहगाई राहत में वृद्धि के कारण वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान में वर्ष



2009-10 के वास्तविक व्यय से 48.51 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2011-12 में पेंशन मद में रूपये 5158.05 करोड़ का व्यय होना अनुमानित है। इस मद में वर्ष 2012-13 एवं आगामी वर्षों में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित करते हुए गणना की गई है।

### प्ररूप एफ-3

(देखें नियम 5)

### राजकोषीय नीति युक्ति विवरण

- (1) **राजकोषीय नीति - विस्तृत विचार :** राज्य की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना है ताकि सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना में निवेश किया जा सके। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को बढ़ाया जा सकता है तथा निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही समावेशी वृद्धि की अवधारणा को सम्मिलित करते हुए सामाजिक क्षेत्रों में राजस्व व्यय को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं अनुत्पादक आयोजनेतर राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है। वर्ष 2010-11 में आर्थिक विकास की दर में सुधार होने के कारण कर संग्रहण में वृद्धि देखी गई है। पूर्व वर्षों में ऋणों की अदला बदली तथा बारहवें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध ऋण समेकन एवं सहायता सुविधा के कारण ब्याज दरों में कमी हुई है। इस कारण ब्याज भुगतान में वृद्धि नियंत्रित रही है।

राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान में 39.58 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार वर्ष 2009-10 की तुलना में 17.99 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। इसी प्रकार वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान में वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान से 13.44 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। आयोजनेतर राजस्व व्यय अन्तर्गत वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान में वर्ष 2009-10 की तुलना में 27.41 प्रतिशत की वृद्धि तथा वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान में वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 15.07 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

वर्ष 2011-12 के आयोजनेतर राजस्व व्यय में इस वृद्धि का मुख्य कारण राज्य कर्मचारियों/पेंशनरों को छठवें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुरूप वेतनमान/पेंशन, मंहगाई भत्ते/राहत की अतिरिक्त किश्त एवं बकाया एरियर्स की राशि दिया जाना है।

परिणामतः राज्य का राजस्व आधिक्य वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान ` 5497.80 करोड़ की तुलना में वर्ष 2011-12 में ` 3866.49 करोड़ अनुमानित है तथा राजकोषीय घाटा ` 7981.79 करोड़ अनुमानित है। यह राजकोषीय संकेतक मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (संशोधित)-2009 अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमा में रहने की संभावना है।

**(2) आगामी वर्ष के लिये राजकोषीय नीति :** चूंकि वर्तमान राजकोषीय नीति के अच्छे एवं सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं अतः राज्य शासन द्वारा उक्त नीति को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु भी लागू किया जावेगा।

**(i) कर नीति :** राजस्व प्राप्ति में लगातार वृद्धि किये जाने की राज्य शासन की नीति रहेगी। कर प्रणाली में सकारात्मक सुधारों के अन्तर्गत कर आधारों का विस्तार, स्वेच्छा से यथा समय कर देने की प्रवृत्ति निर्मित करने एवं कर प्रशासन का सुदृढीकरण किये जाने की राज्य शासन की नीति है। राज्य शासन, विभागों की कर संग्रहण व्यवस्था को बेहतर करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करेगा।

**(ii) व्यय नीति :** परिणामों के आधार पर शासन द्वारा किया गया व्यय सफलता / असफलता का परिचायक होता है। यह परिणाम एवं पारदर्शिता के मानकों पर मूल्यांकित किया जा सकता है। प्रदेश के समस्त बजटीय आहरण कोषालयीन कम्प्यूटराईजेशन की व्यवस्था अंतर्गत किये जा रहे हैं। प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन को और अधिक सुदृढ करने के लिए वित्त विभाग एवं कोषालय आहरण प्रणाली सहित राज्य शासन के अन्य विभागों को भी एक ही नेटवर्क के अंतर्गत लाने के लिए 'एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली' विकसित की जा रही है। यह कम्प्यूटरीकृत प्रणाली वित्तीय वर्ष 2012-13 से कार्यशील हो जावेगी।

योजनागत राशियों के समयबद्ध एवं समुचित उपरोग सुनिश्चित करने के लिए 1 अप्रैल, 2010 से आयोजना मदों अन्तर्गत व्यय की त्रैमासिक व्यवस्था लागू की गई है। राज्य की बजट प्रस्तुतिकरण व्यवस्था में अपनायी गई कुछ अन्य प्रमुख व्यवस्था निम्नानुसार हैं-

**(क) परिणामी बजट :** - वर्ष 2006-07 से परिणामी बजट तैयार किये जाकर विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किये जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में वर्ष 2011-12 के परिणामी बजट प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिसमें परिणामों को आंकलित करने वाले मापनीय परिदानों (Quantifiable Deliverables) के रूप में परिणामों (Outcomes) को दर्शाया जाता है।

**(ख) जेण्डर बजट :** - महिला प्रवर्ग द्वारा उनकी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के प्रति सरकार की वचनबद्धता जेण्डर बजट से परिलक्षित होती है। जेण्डर बजट के अन्तर्गत महिलाओं को लाभान्वित करने वाली प्रमुख योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है ताकि इनका उचित वर्गीकरण तथा बेहतर लक्ष्य का निर्धारण हो सके। जेण्डर बजट वर्ष 2007-08 से प्रतिवर्ष मुख्य बजट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2011-12 हेतु भी जेण्डर बजट प्रस्तुत किया जा रहा है।

**(ग) गैर बजटीय प्राक्कलन (Off budget estimates) :** - व्यय के स्रोतों का पारदर्शी होना व्यय की सफलता को द्विगुणित कर देता है। शासन द्वारा इस पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुये राज्य में चल रही परियोजनाओं में व्यय के स्रोतों को दर्शाने के लिये वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों में गैर बजटीय प्राक्कलन को भी दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया था। इस प्रक्रिया को वर्ष 2011-12 के लिये भी जारी रखा गया है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2011-12 से केन्द्र शासन की कुछ मुख्य योजनाओं

के अन्तर्गत राज्य के विभागों/संस्थाओं को सीधे प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग की ऑनलाईन समीक्षा व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है।

- (iii) **ऋण एवं आकस्मिक दायित्व :** वर्ष 2004-05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति प्राप्त की जा चुकी है तथा तत्पश्चात निरन्तर राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है। इसके परिणामस्वरूप पूंजी निवेश हेतु ऋण पर निर्भरता कम करते हुये भी पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जा सकी है।

**(3) आगामी वर्ष के लिये कार्यनीति प्राथमिकताएं :**

- (i) वित्तीय वर्ष 2010-11 से राज्य शासन द्वारा प्रदेश के अधिकांश शासकीय भुगतान इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से किये जा रहे हैं। वर्ष 2011-12 में इसे शेष सभी भुगतानों के लिए लागू करने का प्रयास किया जायेगा। राज्य शासन के वित्तीय प्रबंधन को अधिक प्रभावी करने के लिए नवीन 'एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली' विकसित कराई जा रही है। यह प्रणाली वित्तीय वर्ष 2012-13 से कार्यशील होना संभावित है।
- (ii) राजस्व आय में अधिकाधिक वृद्धि करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी को पर्याप्त रूप से अपनाये जाने का निर्णय लिया गया है। स्टाम्प तथा पंजीकरण, राज्य उत्पाद एवं परिवहन में कम्प्यूटराइजेशन के कार्य को गति प्रदान की जायेगी। इसी दिशा में एकीकृत कम्प्यूटरीकृत चेकपोस्ट व्यवस्था भी वर्ष 2011-12 से कुछ चेकपोस्टों पर कार्य करना शुरू कर देगी, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। नई सूचना तकनीक के उपयोग से कर प्रणाली का क्रियान्वयन अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी हो सकेगा।
- (iii) अधोसंरचना विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मानव संसाधनों की उत्पादकता वृद्धि हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रशिक्षण को भी प्राथमिकता दी जावेगी।

#### (4) नीति परिवर्तन के मूल आधार :

- (i) राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन में वृद्धि की है। सामाजिक क्षेत्र में राजस्व व्यय का पूरक स्वरूप विदित है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक शिक्षकों, चिकित्सकों, अर्ध चिकित्सीय कर्मचारियों की आवश्यकता है। प्रदेश में गरीबी तथा कुपोषण की उच्च दर के कारण खाद्यान्न सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसके कारण राजस्व व्यय बढ़ सकता है।
- (ii) सामान्यतः ऋण कार्यक्रम तय करते समय मुद्रा बाजार में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है। ऋण नीति का उद्देश्य ऋण की औसत लागत कम करना एवं इसकी उत्पादकता को बढ़ाना है।
- (iii) कृषि विकास की दर में वृद्धि के लिये कृषि उत्पादन में लगने वाले आदानों (इनपुट) की लागत कम करने तथा उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके कारण किसानों के लिये बिजली तथा ऋण पर अनुदान के स्तर का निर्धारण लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक विवेक से लिया जायेगा।

(5) **नीति मूल्यांकन :** मध्य प्रदेश राजकोषीय एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार वांछित सभी राजकोषीय जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण वर्ष 2009-10 के लेखा, वर्ष 2010-11 के बजट/पुनरीक्षित अनुमान, वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान तथा वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 तक प्राक्कलित ट्रेंड/रूझानों के आधार पर तैयार किये गये हैं। उल्लेखित वर्षों के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है। इसके अतिरिक्त अनुमानों को समुचित रूप से स्पष्टीकरण के साथ संशोधित किया गया है जिससे वे यथार्थ पर आधारित रहें। राजकोषीय पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा वक्तव्यों से प्रदर्शित है।

## प्ररूप एफ-4

(नियम 7 देखिये)

### चयनित राजकोषीय सूचक

अनु. क्र	मद	पूर्ववर्ती वर्ष (लेखा)	चालू वर्ष (पु.अ.)	आगामी वर्ष (ब.अ.)
		2009-10	2010-11	2011-12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा	2.86	3.47	3.00
2	सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	88.69	56.77	48.44
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	2.53	1.97	1.45
4	कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटा / आधिक्य	13.28	9.00	6.69
5	कुल दायित्व -सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) का अनुपात (प्रतिशत)	32.99	32.11	32.10
6	कुल दायित्व-कुल राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	172.91	146.53	147.80
7	कुल दायित्व-राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	414.39	377.58	369.46
8	राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय की तुलना में (प्रतिशत)	48.12	42.65	42.87
9	सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के अनुसार पूंजीगत परिव्यय	127.84	114.66	109.27
10	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार ब्याज भुगतान	10.76	9.68	9.24
11	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार वेतन व्यय	24.59	27.94	30.87
12	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार पेंशन व्यय	7.43	8.70	8.93

## प्ररूप एफ-5

(नियम 7 देखिये)

### क.- राज्य सरकार के दायित्वों के घटक

(रुपये करोड़ में)

अनु. क्र.	प्रवर्ग	राजकोषीय वर्ष के दौरान उठाये गये या उठाये जाने वाले			राजकोषीय वर्ष के दौरान प्रतिसंदाय/विमोचन			बकाया राशि (31 मार्च को)		
		पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष
		2009-10 (लेखा)	2010-11 (पु.अ.)	2011-12 (व.अ.)	2009-10 (लेखा)	2010-11 (पु.अ.)	2011-12 (व.अ.)	2009-10 (लेखा)	2010-11 (पु.अ.)	2011-12 (व.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	बाजार उधार	5821.00	4172.68	6267.00	804.50	644.60	878.12	21620.30	25148.38	30537.26
2	केन्द्र से ऋण	1344.54	1345.50	1788.67	456.26	510.42	524.23	10378.95	11214.03	12478.47
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियां	810.00	2200.00	1500.00	318.18	350.00	380.00	14666.25	16516.25	17636.25
4	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार	626.96	779.00	901.62	815.09	920.16	1017.75	6175.26	6034.10	5917.97
5	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण	0.00	1000.00	4000.00	0.00	1000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
6	लोक लेखा	11322.08	10858.81	6856.44	9946.48	10832.54	6051.80	15011.80	15038.07	15842.71
7	अन्य जमा									
8	योग	19924.58	20355.99	21313.73	12340.51	14257.72	12851.90	67852.56	73950.83	82412.66

### ख. राज्य सरकार के दायित्वों पर अधिमान औसत ब्याज दरें

(प्रतिशत)

अनु. क्र.	प्रवर्ग	राजकोषीय वर्ष के दौरान उठाये गये		बकाया रकम (31 मार्च को)	
		^			
		पूर्व वर्ष (लेखा) 2009-10	चालू वर्ष (पु.अ.) 2010-11	पूर्व वर्ष (लेखा) 2009-10	चालू वर्ष (पु.अ.) 2010-11
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बाजार से उधार	8.36	8.46	7.90	8.10
2	केन्द्र से ऋण	9.00	9.00	8.46	8.47
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियां	9.50	9.50	9.97	9.95
4	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार	6.50	6.50	7.91	7.80
5	भा.रि.बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण	0.00	0.00	0.00	0.00
6	लोक लेखा	8.00	8.00	8.00	8.00
7	अन्य जमा	0.00	0.00	0.00	0.00
8	कुल औसत दर *	8.27	8.29	8.45	8.46

^ अधिमान औसत ब्याज दर जहां संबंधित अधिमान उधार ली गई रकम है। यह संविदात्मक आधार पर प्रकल्पित है और तब वार्षिक की गई है।

\* अधिमान औसत ब्याज दर, जहां अधिमान राज्य सरकार के दायित्वों के संबंधित घटकों की रकम है।



**ग. विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अर्थोपाय अग्रिम/राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ओव्हर ड्राफ्ट का ब्यौरा**

अनु.क्र.	अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण	पूर्व वर्ष 2009-10	चालू वर्ष 2010-11
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अर्थोपाय अग्रिम की औसत रकम (रुपये करोड़ में)	0	0
2	अधिविकर्षण की औसत रकम (रुपये करोड़ में)	0	0
3	अर्थोपाय अग्रिम के दिवसों की संख्या	0	0
4	अधिविकर्षण के दिवसों की संख्या	0	0
5	अधिविकर्षण के अवसरों की संख्या	0	0

**प्रारूप - एफ - 7**  
**(नियम 7 देखिये)**  
**सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां**

प्रवर्ग (कोष्टक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूत अधिकतम रकम (रुपये करोड़ में)	वर्ष के आरंभ में बकाया (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान कमी (वर्ष के दौरान किये गये अवलंब से भिन्न) (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान किया गया अवलंब (रुपये करोड़ में)		कुल परादेय प्रत्याभूतियां (रुपये करोड़ में) (31.12.2010 की स्थिति में)	प्रत्याभूति कमीशन या फीस (रुपये करोड़ में)		कुल राजस्व प्राप्तियों * के प्रतिशत के रूप में कुल परादेय प्रत्याभूतियां
					उन्मोचित	अनुमोचित		प्राप्त करने योग्य	प्राप्त की गई	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
वित्त विभाग ( १३ )	3,55.06	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	1,60.83	अप्राप्त	अप्राप्त	
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग ( २ )	4.20	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	0.00	अप्राप्त	अप्राप्त	
ऊर्जा विभाग ( ५५ )	61,82.55	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	32,80.35	अप्राप्त	अप्राप्त	
सहकारिता विभाग ( ६ )	20,39.57	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	11,02.13	अप्राप्त	अप्राप्त	
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ( ६१ )	5,10.98	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	2,27.93	अप्राप्त	अप्राप्त	
आदिम जाति कल्याण विभाग ( २ )	51.00	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	12.42	अप्राप्त	अप्राप्त	
आवास और पर्यावरण विभाग ( १३ )	2,05.90	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	22.29	अप्राप्त	अप्राप्त	
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग ( ४ )	49.00	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	23.47	अप्राप्त	अप्राप्त	
पिछड़ा वर्ग एवं अल्प सं यक कल्याण विभाग ( ३ )	22.90	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	15.29	अप्राप्त	अप्राप्त	
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ( ३ )	59.00	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	1,30.76	अप्राप्त	अप्राप्त	
<b>वृहद योग</b>	<b>94,80.17</b>						<b>49,75.52</b>			<b>10.55</b>

\* पुनरीक्षित अनुमान 2010-11

## प्ररूप एफ-8

(नियम 7 देखिये)

### प्रत्याभूति विमोचन निधि (जी. आर. एफ.)

					(रुपये करोड़ में)
पूर्व वर्ष की समाप्ति पर परादेय इनवोक्ड प्रत्याभूतियां	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर जी.आर.एफ. में परादेय रकम	चालू वर्ष के दौरान प्रत्याभूतियों की रकम जिनका अवलंब संभाव्य है	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. में बढ़ोतरी	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. से प्रत्याहरण	चालू वर्ष की समाप्ति पर जी.आर.एफ. में परादेय रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0.00	305.66	0.00	63.57	0.00	369.23

## प्ररूप एफ-9

(नियम 7 देखिये)

### वित्तीय आस्तियों का विवरण

अनु.क्र.	मद	पूर्व वर्ष के आरंभ पर आस्तियां बही मूल्य (रुपये करोड़ में)	पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियां बही मूल्य (रुपये करोड़ में)	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आस्तियों का संचयी योग बही मूल्य (रुपये करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
<b>1</b>	<b>ऋण एवं अग्रिम जिसमें</b>	<b>7630.15</b>	<b>3793.51</b>	<b>11423.66</b>
	स्थानीय निकायों को ऋण	1232.75	170.11	1402.86
	कंपनियों को ऋण	0	0	0
	अन्य को ऋण	6397.4	3623.4	10020.8
<b>2</b>	<b>साम्या विनिधान (इक्विटी इन्वेस्टमेंट)</b>	<b>9643.34</b>	<b>2042.94</b>	<b>11686.28</b>
	अंशपूजी (शेयर)			
	बोनस शेयर			
<b>3</b>	<b>भारत सरकार प्रत्याभूतियों/ कोषालयीन बिलों में विनिधान</b>	<b>3.53</b>	<b>0</b>	<b>3.53</b>
<b>4</b>	<b>कोषालयीन बिलों में विनिधान</b>	<b>5556.19</b>	<b>0</b>	<b>5556.19</b>
<b>5</b>	<b>अन्य वित्तीय विनिधान</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>6</b>	<b>योग</b>	<b>22833.21</b>	<b>5836.45</b>	<b>28669.66</b>

टिप्पणी : - केवल रुपये दो लाख के ऊपर के मूल्य की आस्तियां दर्ज की जाना हैं।

## प्ररूप एफ-10

(नियम 7 देखिये)

### राजस्व जो बढ़ाया गया पर वसूल नहीं किया गया

(मुख्य कर और करेतर)

(जैसा कि पूर्व वर्ष 2009-10 की समाप्ति पर है)

मुख्य शीर्ष	विवरण	विवादित राशि (रुपये करोड़ में)	अविवादित राशि (रुपये करोड़ में)	कुल योग (रुपये करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>आय तथा व्यय पर कर</b>			
0023	होटल की प्राप्तियों पर कर	-	-	-
0028	आय तथा व्यय पर कर	-	-	-
	<b>संपत्ति तथा पूंजीगत सेवाओं पर कर</b>			
0029	भू-राजस्व*	79.34	37.84	117.18
0030	स्टाम्प तथा रजिस्ट्रीकरण फीस	28.62	71.24	99.86
	<b>वस्तुओं तथा सेवा पर कर</b>			
0039	राज्य आबकारी	5.22	55.06	60.28
0040	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	520.76	66.17	586.93
0041	यानों पर कर	00.00	00.00	00.00
0045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0.14	0.48	0.62
0043	विद्युत पर कर तथा शुल्क		19.72	19.72
0853	अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	1546.33	12.17	1558.50
0700	मुख्य, मध्यम तथा लघु सिंचाई		1115.77	1115.77
0701	मध्यम, तथा		61.23	61.23
0702	लघु सिंचाई		652.15	652.15
0406	वन तथा वन्य जीव	3.48	13.69	17.17
	<b>योग</b>	<b>2183.89</b>	<b>2105.52</b>	<b>4289.41</b>

\*वर्ष 2007-08 की स्थिति में

टीप - इस विवरण के अन्तर्गत राजस्व बकाया का विवरण दिया गया है।

## प्ररूप एफ-11

(नियम 7 देखिये)

### क. राज्य सरकार में नियोजन

(31 मार्च 2010 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	5000 तक	8620	01.90
2.	5001 से 21000	370080	82.35
3.	21001 से 37000	60120	13.38
4.	37001 से 53001	7846	01.74
5.	53001 से 65000	2327	00.52
6.	65001 से 80000	380	00.08
7.	80001 से अधिक	32	00.01
	<b>योग</b>	<b>449405</b>	<b>100.00</b>

### ख. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नियोजन

#### (i) नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2010 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	97	0.53
2.	2501 से 4300	2797	15.23
3.	4301 से 6100	6674	36.33
4.	6101 से 9700	4264	23.21
5.	9701 से 13300	2743	14.93
6.	13301 से 19300	1272	6.93
7.	19301 से अधिक	522	2.84
	<b>योग</b>	<b>18369</b>	<b>100.00</b>

#### (ii) पुराने वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2010 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	800 तक	0	0.00
2.	801 से 1000	47	12.60
3.	1001 से 1400	305	21.77
4.	1401 से 2000	04	1.07
5.	2001 से 3500	10	2.69
6.	3501 से 5000	07	1.87
7.	5001 से अधिक	0	0.00
	<b>योग</b>	<b>373</b>	<b>100.00</b>

**(iii) छठवें वेतनमान के आधार पर****(31 मार्च 2010 की स्थिति में)**

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	5000 तक	738	1.78
2.	5001 से 21000	26302	63.55
3.	21001 से 37000	12350	29.84
4.	37001 से 53001	1213	2.93
5.	53001 से 65000	729	1.76
6.	65001 से 80000	56	0.13
7.	80001 से अधिक	01	0.01
	<b>योग</b>	<b>41389</b>	<b>100.00</b>

**ग अर्द्ध शासकीय निकायों में नियोजन****(i) नवीन वेतनमान के आधार पर****(31 मार्च 2010 की स्थिति में)**

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	162	2.54
2.	2501 से 4300	1829	28.64
3.	4301 से 6100	1544	24.17
4.	6101 से 9700	1670	26.15
5.	9701 से 13300	616	9.64
6.	13301 से 19300	467	7.31
7.	19301 से अधिक	99	1.55
	<b>योग</b>	<b>6387</b>	<b>100.00</b>

**(ii) पुराने वेतनमान के आधार पर****(31 मार्च 2010 की स्थिति में)**

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	800 तक	03	0.41
2.	801 से 1000	306	41.63
3.	1001 से 1400	88	11.67
4.	1401 से 2000	158	21.50
5.	2001 से 3500	156	21.23
6.	3501 से 5000	20	2.72
7.	5001 से अधिक	04	0.54
	<b>योग</b>	<b>735</b>	<b>100.00</b>

**(iii) छठवें वेतनमान के आधार पर****(31 मार्च 2010 की स्थिति में)**

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	5000 तक	10	00.72
2.	5001 से 21000	1144	82.72
3.	21001 से 37000	211	15.26
4.	37001 से 53001	15	01.09
5.	53001 से 65000	01	00.07
6.	65001 से 80000	02	00.14
7.	80001 से अधिक	00	00.00
	<b>योग</b>	<b>1383</b>	<b>100.00</b>

**घ विश्वविद्यालयों में नियोजन****(i) नवीन वेतनमान के आधार पर****(31 मार्च 2010 की स्थिति में)**

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	575	8.41
2.	2501 से 4300	3554	51.99
3.	4301 से 6100	907	13.227
4.	6101 से 9700	864	12.64
5.	9701 से 13300	451	6.60
6.	13301 से 19300	288	4.21
7.	19301 से अधिक	197	2.88
	<b>योग</b>	<b>6836</b>	<b>100.00</b>

**(ii) छठवें वेतनमान के आधार पर****(31 मार्च 2010 की स्थिति में)**

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	5000 तक	00	0.00
2.	5001 से 21000	450	8.36
3.	21001 से 37000	38	6.78
4.	37001 से 53001	28	5.00
5.	53001 से 65000	43	7.68
6.	65001 से 80000	01	0.18
7.	80001 से अधिक	00	0.00
	<b>योग</b>	<b>560</b>	<b>100.00</b>



ड. नगरीय स्थानीय निकायों में नियोजन

(i) नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2010 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	14659	20.75
2.	2501 से 4300	37726	53.40
3.	4301 से 6100	9808	13.88
4.	6101 से 9700	5901	8.35
5.	9701 से 13300	2057	2.91
6.	13301 से 19300	405	0.57
7.	19301 से अधिक	100	0.14
<b>योग</b>		<b>70656</b>	<b>100.00</b>

च विकास प्राधिकरणों में नियोजन

नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2010 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	249	13.84
2.	2501 से 4300	536	29.80
3.	4301 से 6100	242	13.45
4.	6101 से 9700	549	30.52
5.	9701 से 13300	104	5.78
6.	13301 से 19300	74	4.11
7.	19301 से अधिक	45	2.50
<b>योग</b>		<b>1799</b>	<b>100.00</b>

छ- ग्रामीण स्थानीय निकायों में नियोजन

नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2010 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	47196	31.53
2.	2501 से 4300	71215	47.58
3.	4301 से 6100	23006	15.37
4.	6101 से 9700	6255	4.18
5.	9701 से 13300	1552	1.04
6.	13301 से 19300	365	0.24
7.	19301 से अधिक	89	0.06
<b>योग</b>		<b>149678</b>	<b>100.00</b>